



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230773
CG-DL-E-27102021-230773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616]
No. 616]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 762(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 10क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 577(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 12 की प्रविष्टि में, “निर्देश मानकों” शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

“और केवल निर्यात के प्रयोजन से विनिर्मिति के विनिर्माण के लिए अनन्य रूप से आयात किए गए ऑक्सीटोसिन सक्रिय औषध संघटक (एपीआई)”

[फा.सं. एक्स.11014/2/2018-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 577(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 180(अ), तारीख 16 मार्च, 2020 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2021

G.S.R. 762(E).—In exercise of the powers conferred by section 10A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, number G.S.R. 577(E), dated the 23rd July, 1983, namely:—

In the said notification, in the Table, in the entry at serial number 12, after the words “test and analysis”, the following words and letters shall be inserted, namely:—

"and Oxytocin Active Pharmaceutical Ingredient (API) imported exclusively to manufacture formulations for the purpose of export only”.

[F. No. X.11014/2/2018-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 577(E), dated the 23rd July, 1983 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 180(E), dated the 16th March, 2020.